अनवान प्रदीप पंवार V/s मीनाबाल
मुकदमा नंबर 64 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकान अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्षकारन विद्वांन अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि विवादित भूमि वादीगण के दादा स्व. रूगनाथजी के जरिये आवंटन प्राप्त हुई थी, स्व. रूगनाथजी ने अपने जीवनकाल में ही मौखिक बंटवाडा के तहत वादग्रस्त भूमि को अलग–अलग दे दी थी जिसके तहत खसरा संख्या 140/2 नया खसरा संख्या (930/140) रकबा 13.06 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 को तथा बामसीन में अवस्थित खसरा संख्या 276 व 279/428 रकबा 17.04 बीघा वादीगण के पिता धनराज को व खसरा संख्या 115 रकबा 20.16 बीघा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम जरिये आंवटन दिया गया, खसरा संख्या 140/2 (930/140) रूगनाथजी स्वंय को नाम आंवटन हुई थी तथा कब्जा काश्त मौखिक बंटवाडा के तहत प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 2,6 व 11 द्वारा 140/2 वर्तमान खसरा संख्या 930/140 का दिनांक 04.06.2024 को उपपंजीयक कार्यालय सिवाना में उक्त सम्पूर्ण भूमि का जरिये पंजीकृत हकत्याग नामा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम निष्पादित कर नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया । उक्त हकत्यागनामा कर्त्ता वर्तमान में जीवित है । स्व. रूगनाथजी के कुल 51.06 बीघा भूमि थी जो रूगनाथजी के चारो पुत्र प्रतिवादी संख्या 1,2 6 व 11 को 13–13 बीघा हक बंट में दी गई। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2,6,11 से जरिये पंजीकृत हकत्याग करने से प्राप्त होने से उक्त भूमि पैतृक भूमि नहीं है। वादग्रस्त भूमि पंजीकृत दस्तावेज की वैधता या विधि मान्यता जांच सिविल न्यायालय का अधिकारी क्षेत्र होने से उक्त प्रकरण अज अदालत का क्षेत्रधिकार नहीं होने से विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल खारिज है। इसके विपरित वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा स्व. रूगनाथजी के जीवनकाल में नहीं हुआ था। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1,2,6 व 11 को कब्जे काश्त के अनुरूप प्राप्त हुई है, तथाकथित हकतर्कनामा निष्पादित करने का हक अधिकार प्रतिवादी संख्या 2,6 व 11 को नही था,वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी रूप में अवस्थित होने से वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 56 के तहत जन्म से हक हिस्सा मौजूद होने से हकतर्कनामा वादीगण के [illegible] विरूद्ध होने से एब ईन्योयश [illegible] है, [illegible] सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती [illegible] देकर निरस्त करवाना आवश्यक नहीं है। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गंभीरता से मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन किया। ग्राम बामसीन तहसील समदडी का खसरा संख्या 140/2 नया खसरा संख्या 930/140 रकबा 13.06 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.29 18:47:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

अनवान प्रदीप पंवार v/s मीठालाल
मुकदमा नंबर 64 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी संख्या 2,6 व 11 से जरिये पंजीकृत हकतर्कनामा से प्राप्त हुई है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 11 के वारिसान है। हमने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B.Civil Misc. Appeal No. 2315/2022 Rajendra Kumar V/s Jawanaram में दिये गये निर्णय का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय में वर्णित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Bhanwar Singh Vs Puran Etc, AIR 2008 SC Page 1490 के निर्णय दिनांक 12.02.2008 में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व के न्यायिक दृष्टांत Commission of Wealth Tax Kanpur Etc. Vs. Chander Sen etc AIR 1986 SC Page 1753 व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Yudhisheter Vs. Ashok Kumar AIR 1987 SC Page 558 में प्रतिपादित सिद्धान्तों की पुष्टि की । चन्द्रसेन वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात यदि सम्पाति मालिक की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र व मृत पुत्र का पुत्र 1st Schedule के मुताबिक उत्तराधिकारी होते है और जीवित पुत्र का पुत्र उत्तराधिकार नहीं होता है न कि Per Stripes का यानि वे tenants-in-common-in की तारीफ में आते joint tenats नहीं कहलाते ।	
	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हस्तगत प्रकरण में पूर्णरूपेण चस्पा होता है, वादग्रस्त भूमि स्व. रूगनाथ को आंवटन में प्राप्त हुई था तथा उनके बाद उनके पुत्रो प्रतिवादी संख्या 2,6 व 11 ने पंजीबद्व दस्तोवज के माध्यम से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तान्तरण कर दी थी तथा प्रतिवादी संख्या 2,6 व 11 जीवित है। वादग्रस्त भूमि पंजीकृत दस्तावेज की वैधता या विधि मान्यता जांच सिविल न्यायालय का अधिकारी क्षेत्र होने से उक्त प्रकरण अज अदालत का क्षेत्रधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है।	
	लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है डिक्री पर्चा [illegible] बाद [illegible] शामिल होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2025.03.29 15:47:50 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (S.D.) सिवाना	

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 64/2019

वादीगणः–

1. प्रदीप पंवार पुत्र धनराज जाति माली निवासी समदडी हाल हाउसिंग बार्ड बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
2. राकेश पुत्र धनराज जाति माली निवासी समदडी हाल हाउसिंग बार्ड बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
3. दीप्ती पुत्री धनराज पत्नी ललित कुमार जाति माली निवासी किसान छात्रावास के पास जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मीठालाल पुत्र रूगनाथजी जाति माली निवासी शिवमंदिर के पास समदडी जिला बालोतरा
2. अचलाराम पुत्र रूगनाथजी जाति माली निवासी शिवमंदिर के पास समदडी जिला बालोतरा
3. पारसमल पुत्र अचलाराम जाति माली निवासी शिवमंदिर के पास समदडी जिला बालोतरा
4. किशोर पुत्र अचलाराम जाति माली निवासी शिवमंदिर के पास समदडी जिला बालोतरा
5. ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम जाति माली निवासी शिवमंदिर के पास समदडी जिला बालोतरा
6. चौथमल पुत्र रूगनाथजी जाति माली निवासी शिवमंदिर के पास समदडी जिला बालोतरा
7. नरपत पुत्र चौथमलजी जाति माली निवासी शिवमंदिर के पास समदडी जिला बालोतरा
8. डूंगर पुत्र चौथमलजी जाति माली निवासी शिवमंदिर के पास समदडी जिला बालोतरा
9. इन्द्र पुत्री चौथमलजी पत्नी चंदनमल जाति माली निवासी ठकराणी का जाव गांधीपुरा बालोतरा
10. लीला पुत्री चौथमलजी पत्नी सुरेश जाति माली के कायम मुकाम
    10/1 रमेश पुत्र सुरेश जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3 निचली वास बालोतरा
    10/2 सिद्वार्थ पुत्र सुरेश जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3 निचली वास बालोतरा
    10/3 सुरेश पुत्र दरगाजी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3 निचली वास बालोतरा
11. धनराज पुत्र रूगनाथजी जाति माली निवासी समदडी हाल हाउसिंग बोर्ड 5/21 बालोतरा
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : –05.03.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.29 18:47:50 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] अधिवक्ता श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई श्री [illegible] अधिवक्ता मि[illegible] पेश होकर डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता [illegible]

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.03.2025 को जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना